मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 15 /03/2021

क्र.एफ 16-18/2017/ए-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा जीएसटी व्यवस्था लागू होने पर निवेश परियोजनाओं को राज्य की विभिन्न निवेश नीतियों अंतर्गत स्वीकृत सुविधा का लाभ निरंतर दिये जाने के संबंध में प्रक्रिया के निर्धारण हेतु जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 06.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 2 एवं 10 को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया:-

1. बिन्दु क्रमांक - 2 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"उद्योग निवेश संवर्धन सहायता प्राप्त निर्माता इकाई द्वारा समान पैन पर भिन्न जीएसटी नम्बर पर मध्यप्रदेश राज्य के अंदर निर्माता इकाई को किया गया विक्रय स्टॉक ट्रांसफर मान्य नहीं करते हुये विक्रय गणक की गणना में शामिल किया जायेगा बशर्ते उक्त क्रेता इकाई द्वारा क्रय किये गये इनपुट का न्यूनतम 50 प्रतिशत मूल्य संवर्धन नवीन उत्पाद हेतु किया जाये।

निर्माता इकाई द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के अंदर समान पैन किन्तु भिन्न जीएसटी नम्बर पर किया गया अन्यथा विक्रय, समान जीएसटी नम्बर पर किया गया विक्रय एवं मध्यप्रदेश राज्य के बाहर समान पैन होल्डर अथवा समान जीएसटी नम्बर के मध्य किया गया विक्रय स्टॉक ट्रांसफर मान्य किया जाएगा।"

2. बिन्दु क्रमांक - 10 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"वर्ष 2016-17 में वैट प्रणाली अंतर्गत इनपुट टैक्स से आशय है कि जो इनपुट टैक्स राज्य एवं केन्द्रीय करों के अंतर्गत इकाई द्वारा चुकाया गया था। यदि वर्ष 2016-17 में अप्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना में आवेदित वर्ष की अप्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट कम है, तो यह वर्ष 2016-17 की तुलना में इकाई को प्राप्त अतिरिक्त लाभ है। अतः इस अतिरिक्त लाभ को इकाई की संगणित सहायता राशि से घटाया जाये।

अप्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से आशय है - इकाई द्वारा निर्मित माल के निर्माण हेतु क्रय किये गये इनपुट्स पर विक्रेता को चुकाई गई कर राशि में से वह राशि जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में प्राप्त करने की पात्रता इकाई को नहीं थी /नहीं है, यथा स्टॉक ट्रांसफर /अपात्र संव्यवहारों/अन्य के कारण जैसे वैट प्रणाली में मध्यप्रदेश राज्य के बाहर से केन्द्रीय विक्रय कर चुकाकर क्रय किये गये इनपुट्स पर ।

आवेदक इकाईयों से यह जानकारी प्राप्त की जाएगी कि वर्ष 2016-17 में अप्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना था एवं जीएसटी प्रणाली प्रभावशील होने के फलस्वरूप आवेदित वर्ष में अप्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है।

निरंतर.....

किसी इकाई का वर्ष 2016-17 एवं आवेदित वर्ष में ग्रॉस टर्नओवर / कुल सप्लाई समान रहने पर यदि जीएसटी प्रणाली प्रभावशील होने के फलस्वरूप आवेदित वर्ष में इकाई का अप्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट यदि वर्ष 2016-17 में अप्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से कम है, तो अंतर की राशि को संगणित सहायता राशि में से घटाने उपरांत ही सहायता प्रदान की जावेगी।

इकाई का आवेदित वर्ष में ग्रॉस टर्नओवर / कुल सप्लाई यदि वर्ष 2016-17 की ग्रॉस टर्नओवर / कुल सप्लाई से ज्यादा है, तो उसी अनुपात में वर्ष 2016-17 की अप्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को बढाकर माना जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस उद्देश्य से गठित अंतर्विभागीय त्रिसदस्दीय समिति के अनुशंसा अनुसार अप्राप्त इनपुट टैक्स की गणना की जाएगी। तत्संबंध में आवेदन प्रपत्रों के निर्धारण हेतु प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी लि. को अधिकृत किया जाता है।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्र. एफ 16-18/2021/ए-ग्यारह
भोपाल, दिनांक 15 /03/2021

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
4. उप नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामगी, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ - की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

CABINET ORDER